(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 46 / 2023

रजिस्ट्रेशन सं. :– 2023 / 215

बउनवान

राज. सरकार जर्ये श्री नीरज कुमार नागर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री राजेन्द्र राठौर पुत्र श्री सत्यनारायण राठौर उम्र 42 वर्ष जाति तेली निवासी कज्याटोडी वार्ड नं0 2 हाडौती बैंक के पास, मांगरोल जिला बारॉ राज0 (मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स सत्यनारायण, राजेन्द्र कुमार काज्याटोडी वार्ड नं0 2 नियम हाडौती बैंक, मांगरोल जिला बारॉ
2. मैसर्स सत्यनारायण, राजेन्द्र कुमार काज्याटोडी वार्ड नं0 2 नियम हाडौती बैंक, मांगरोल जिला बारॉ
3. श्री महेन्द्र राठौर पुत्र श्री सत्यनारायण राठौर निवासी काज्याटोडी वार्ड नं0 2, एचपी गैस सेंटर के पास, मांगरोल जिला बारां मैसर्स सत्यनारायण महेन्द्र कुमार वार्ड नं. 2 ईटावा रोड एचपी गैस के पास, मांगरोल जिला बारां
4. मैसर्स सत्यनारायण महेन्द्र कुमार वार्ड नं. 2 ईटावा रोड एचपी गैस के पास, मांगरोल जिला बारां
5. श्रीमति कमला देवी कांकरिया पत्नी श्री रणजीतमल निवासी मकान नं. जे 6ए ब्लॉक–जे जवाहर नगर कोटा 324009 (मालिक) मैसर्स आशा टी ट्रैडर्स, शिवाजी मार्केट जीवन कटला कोटा राज. 324006
6. मैसर्स आशा टी ट्रैडर्स, शिवाजी मार्केट जीवन कटला कोटा राज. 324006

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री राजेश नागर अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1 ता 4)
3– श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 5 एवं 6)

निर्णय दिनांक 28.03.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री नीरज कुमार नागर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.02.2023 को मैसर्स सत्यनारायण, राजेन्द्र कुमार काज्याटोडी वार्ड नं0 2 नियम हाडौती बैंक, मांगरोल जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री राजेन्द्र राठौर पुत्र श्री सत्यनारायण राठौर (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.02.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूॅ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक आयु/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दि. 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6376 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 24 आवंटित की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:59:59 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया गया तो खाद्य पदार्थ **चाय (वीआईपी सोना) मूल पैक** 500 ग्राम के रैक में 10 कि.ग्रा. आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **चाय (वीआईपी सोना) मूल पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **चाय (वीआईपी सोना) मूल पैक** 500ग्राम –500 ग्राम के चार मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री राजेन्द्र राठौर पुत्र श्री सत्यनारायण राठौर

(विक्रेता एवं मालिक) को 920/– रूपये (अक्षरे नौ सौ बीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **चाय (वीआईपी सोना) मूल पैक** को प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1701 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1701 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री राजेन्द्र राठौर पुत्र श्री सत्यनारायण राठौर (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/123 दिनांक 24.03.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 213/PHL/Kota/Act/2023/214 दिनांक 08.03.2023 के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 26.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 5 एवं 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **चाय (वीआईपी सोना) मूल पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक, कोटा की जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के संपूर्ण तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 05 व 06 को परिवाद से संबंधित दस्तावेज [illegible] नहीं करवाए गये है। जांच रिपोर्ट की जानकारी अपील की मियाद निकलने के बाद दी गई। इससे स्पष्ट [illegible] है [illegible] उक्त कार्यवाही दुर्भावनापूर्वक की गई है। पत्रावली मे कहीं भी नमूने की छायाप्रति या नमूना संलग्न नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि वास्तविकता में **चाय (वीआईपी सोना) मूल पैक** के पैकेट पर एक्सपाईरी डेट अंकित [illegible] अथवा नहीं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी क्रम 05 व 06 पर मिथ्याछाप का आरोप लगाया गया है जो खाद्य पदार्थ **चाय (वीआईपी सोना) मूल पैक** के उत्पादन तथा पैकिंग का कार्य स्वयं करते है। जिस समय उक्त माल की [illegible]जिंग की गई थी तब एफएसएस एक्ट के नियमों के अंतर्गत माल पर मैन्यूफैक्चरिंग तारीख के साथ Best Before 12 Months लिखा जाना अनिवार्य था जो उक्त पैकेट पर लिखा हुआ था। बाद में जब नियमों में परिवर्तन हुआ तब Date to Date का प्रावधान अस्तित्व में आया जिसकी जानकारी संबंधित विभाग द्वारा अप्रार्थी क्रम 05 व 06 को नहीं दी गई। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को विधिक प्रावधानों की अनदेखी किये जाने के कारण अस्वीकार किया जावे तथा अप्रार्थीगण को दोषमुक्त किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:59:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण को पत्रांक 123 दिनांक 24.03.2023 के द्वारा 46(4) के नोटिस के साथ प्रयोगशाला की रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई जा चुकी है। मिथ्याछाप श्रेणी में एक्सपाईरी डेट नहीं दर्शाना एक गणितीय प्रक्रिया है जो प्रश्न के दायरे में नहीं ली जा सकती है। प्रकरण में दिनांक 20.02.2023 को सैम्पल लिया गया था। उक्त दिनांक को यह नियम प्रभावी था कि पैकिंग पर एक्सपायरी डेट अंकित की जावे। अप्रार्थीगण का कथन है कि एफएसएस एक्ट के नियमों के अंतर्गत माल पर मैन्यूफैक्चरिंग तारीख के साथ Best Before 12 Months लिखा जाना अनिवार्य था जो उक्त पैकेट पर लिखा हुआ था। बाद में जब नियमों में परिवर्तन हुआ तब Date to Date का प्रावधान अस्तित्व में आया। उस वक्त कंपनी का दायित्व था कि उक्त उत्पाद बाजार से वापिस कंपनी में मंगवाया जाकर प्रावधानों के अनुरूप नया पैकिंग आम जनता को विक्रय हेतु भिजवाया जाना चाहिए था। अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 213/PHL/Kota/Act/2023/214 दिनांक 08.03.2023 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **चाय (वीआईपी सोना) मूल पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 213/PHL/Kota/Act/2023/214 दिनांक 08.03.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 52,000/– रूपये (अक्षरे बावन हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **28.03.2024** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:59:59 IST
Reason: SelfAttested